आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
12.10.15	न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा अपराध नियंत्रण वाद सं0 41/2015 सरकार मार्फत पुलिस अधीक्षक, सारण बनाम राजेश कुमार राय, थाना-दरियापुर आदेश इस न्यायालय के द्वारा उक्त वाद से संबंधित अभिलेख की सुनवाई एवं परिसीलन पूर्व में दिनांक 06.10.2015 एवं 08.10.2015 को किया गया। इस न्यायालय के ज्ञापांक 678, दिनांक 23.09.2015 के द्वारा विपक्षी को दिनांक 01.10.2015 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। नोटिस का तामिला विपक्षी को दिनांक 30.09.2015 को ही करा दिया गया था, फिर भी विपक्षी दिनांक 01.10.2015 को नहीं आये। कार्य की व्यस्तता की वजह से दिनांक 01.10.2015 को सुनवाई नहीं की जा सकी, एवं दिनांक 06.10.2015 को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित की गई। दिनांक 06.10.2015 को सुनवाई के कम में पाया गया कि थानाध्यक्ष, दरियापुर के द्वारा अभी तक नोटिस का तामिला प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है। अतः थानाध्यक्ष,दरियापुर से स्पष्टीकरण करते हुए उक्त वाद में सुनवाई की अगली तिथि 12.10.2015 निर्धारित की गई। इसी बीच, थानाध्यक्ष,दरियापुर के द्वारा दिनांक 08.10.2015 को नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्रेषित किया गया, जिसके अवलोकन से ज्ञात हुआ कि विपक्षी के द्वारा दिनांक 30.09.2015 को ही अपना नोटिस प्राप्त कर लिया गया। फिर भी, वे न तो दिनांक 01.10.2015 को उपस्थित हुए और न ही दिनांक 06.10.2015 को उपस्थित हुए। ऐसी परिस्थिति में, दिनांक 12.10.2015 को सुनवाई का कोई औचित्य नहीं था। अतः दिनांक 08.10.2015 को इस न्यायालय के ज्ञापांक 820, दिनांक 08.10.2015 के द्वारा विपक्षी को जिला बदर कर दिया गया। दिनांक 12.10.2015 को विपक्षी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा अपनी हाजरी, वकालतनामा एवं जवाब दाखिल किया गया। जवाब के साथ दरियापुर थाना कांड संख्या 34/07 से संबंधित सत्र वाद संख्या 715/14 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ,सारण,छपरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2015 की सत्यापित प्रति संलग्न किया गया है, जिसके अनुसार, विपक्षी को दोषमुक्त कर दिया गया है। अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरांत मैं यह पाता हूँ एवं मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि चूंकि विपक्षी राजेश कुमार राय, पे0-परमेश्वर राय, सा0-बेलहर, थाना-दरियापुर, जिला-सारण के विरुद्ध दर्ज एक थाना कांड संख्या एवं एक सनहा में से एक में माननीय न्यायालय के द्वारा विपक्षी	

दोषमुक्त घोषित कर दिए गए है, इसलिए एक सनहा को आधार बनाकर बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई नही की जा सकती है। अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 08.10.2015 (ज्ञापांक 820/न्या0,दिनांक 08.10.2015) को निरस्त करते हुए पुलिस प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण,छपरा

जिला दण्डाधिकारी
सारण,छपरा

ज्ञापांक 912 /न्या0,दिनांक 12/10/15

प्रतिलिपिः-पुलिस अधीक्षक,सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि संलग्न आदेश का तामिला संबंधित व्यक्ति को तथा संबंधित पदाधिकारियों को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन यथाशीघ्र भेजने का कष्ट किया जाए।

प्रतिलिपिः-थानाध्यक्ष,दरियापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-राजेश कुमार राय, पे0-परमेश्वर राय, सा0-बेलहर, थाना-दरियापुर, जिला-सारण को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।
12/10/15